प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 मई, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तसब्बर पुत्र श्री मुनव्वर, निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तसब्बर पुत्र श्री मुनव्वर, नाहल, थाना-मसूरी,जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 28.06.2007 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमें की पैरवी करने की रंजिश को लेकर तंमचे से गोली मारकर इलियास की हत्या कर दी एवं इद्रीस को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1098/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,307/34 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0-4, के आदेश दिनांक 15.10.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.08.2021 तक 14 वर्ष 02 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने, बंदी की आयु 39 वर्ष होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी को रिहा किये जाने पर समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा कारित अपराध का समाज पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, परिवारिक स्थिति आपराधिक होने तथा समयपूर्व रिहाई होने पर पुन: अपराध की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है।**

बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 28.06.2007 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमें की पैरवी करने की रंजिश को लेकर तंमचे से गोली मारकर इलियास नामक व्यक्ति की हत्या करने व इद्रीस नामक व्यक्ति को घायल करने जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने, बंदी की आयु 39 वर्ष होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, आयु कम होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी तसब्बर पुत्र श्री मुनव्वर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- प्रश्नगत याची/बंदी द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-403/2021 तसब्बर बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.04.2022 निम्नवत है:-

" We have heard learned senior counsel for the respondent-State, learned Amicus Curiae Mr. R.Basant and also learned counsel appearing for the petitioner.

Application has been maintained by the writ petitioner under Section 2 of the UP Prisoner's Release on Probation Act, 1938. The application was made on 03.09.2021. In the WP (Crl.) No. 403/2021

circumstances of the case, learned senior counsel for the State seeks three months' time for taking a decision on the application filed by the petitioner. We think a period of six weeks from today would be appropriate. Accordingly, we direct that the application filed by the petitioner under Section 2 of the aforesaid Act shall be processed and orders be passed thereon within a period of six weeks from today.

One of the issues which has arisen during the consideration of this case is a contradiction between Section 8 of the aforesaid Act and the provisions contained in Section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 which latter law, inter alia, entails the procedure of placing the matter before the Judge on the judicial side. The process for considering the application for remission in Section 8 of the State Act, is different from what is contained in Section 432 is seemed declared. No doubt, learned senior counsel for the State would point out that in the State of Uttar Pradesh section 8 is not being followed and what is being followed is the procedure under Section 432 of the Code of Criminal Procedure.

List the matter on 17th May, 2022."

4- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-403/2021 तसब्बर बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2022 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तसब्बर (बन्दी संख्या-48266) पुत्र श्री मुनव्वर, निवासी जनपद-गाजियाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-59/2022/1357(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री गर्वेश काबरा, ए0ओ0आर0 मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके ई-मेल दिनांक 17.05.2022 के सन्दर्भ में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को उनके पत्र पृष्ठांकन संख्या-6383-86/रिट-403/2021, दिनांक 21.05.2022 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-59/2022/1357/22-2-2022-17(197)/2020

दिनांक 28 मई, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तसब्बर पुत्र श्री मुनव्वर, नाहल, थाना-मसूरी,जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 28.06.2007 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमें की पैरवी करने की रंजिश को लेकर तंमचे से गोली मारकर इलियास की हत्या कर दी एवं इद्रीस को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1098/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,307/34 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0-4, के आदेश दिनांक 15.10.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.08.2021 तक 14 वर्ष 02 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने, बंदी की आयु 39 वर्ष होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी को रिहा किये जाने पर समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा कारित अपराध का समाज पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, परिवारिक स्थिति आपराधिक होने तथा समयपूर्व रिहाई होने पर पुन: अपराध की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है।**

बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 28.06.2007 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमें की पैरवी करने की रंजिश को लेकर तंमचे से गोली मारकर इलियास नामक व्यक्ति की हत्या करने व इद्रीस नामक व्यक्ति को घायल करने जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने, बंदी की आयु 39 वर्ष होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, आयु कम होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी तसब्बर पुत्र श्री मुनव्वर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।